राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 106800 – 106993. दिनांक :– 11.12.19

आयुक्त, नगर निगम समस्त
आयुक्त, नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– सिमेन्ट मैन्यूफेक्चरिंग एसोशियन (CMA) को नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट प्लास्टिक दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– विभागीय पत्र कमांक:– एफ 55 ( ) Engg./CE/DLB/19/99909 दिनांक 21/11/2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपको पूर्व में मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी (MRF) पर प्लास्टिक की छटनी Self Helf Groups (SHGs)/NGOs का सहयोग लिया जाकर इस कार्य को दिनांक 10/12/2019 तक आवश्यक रुप से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त निर्देशो के क्रम में आपके द्वारा अभी तक पालना रिपोर्ट नही भिजवाई गई है, जो इस बात का द्योतक है, कि आपके द्वारा बार बार निर्देशो के बावजुत भी इस कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। माननीय एनजीटी के निर्देशो की पालना में भी प्रत्येक निकाय को एमआरएफ की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी (MRF) पर सूखे कचरे की छटनी Self Helf Groups (SHGs)/NGOs/Rag-Pickers का सहयोग लेकर आपके शहर में उत्तपन्न होने वाले सूखे कचरे का निपटान किया जाना है। सुनिश्चित करते हुये सूचना जरिये ई मेंल cedlbjp@gmail.com पर दिनांक 20/12/2019 तक आवश्यक रुप से भिजवावें।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 19/ 106994 – 107005 दिनांक :– 11.12.19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। ।
3. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
4. उप निदेशक (क्षैत्रीय) समस्त।
5. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( ) Engg./DLB/ SBM /19/ 99909 – 100102 दिनांक :– 21.11.19

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषय:– सिमेन्ट मैन्यूफेक्चरिंग एसोशियेशन (CMA) को नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट प्लास्टिक दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 16/10/2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है, कि पूर्व में आपकों वेस्ट प्लास्टिक को सिमेंट प्लान्ट को दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गयें। जब्ती प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग्स के अलावा भी वेस्ट प्लास्टिक को सिमेन्ट प्लान्ट को दिया जाना है। "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में आपके द्वारा MRF सेन्टर पर जो वेस्ट प्लास्टिक इक्ठठा किया गया है, उसको आपके नजदिक के सिमेन्ट प्लान्ट को दिया जाना सुनिश्चित करावें साथ ही इसका रिकोर्ड फोटोग्राफ/रजिस्टर संधारित किया जाकर इसकी प्रति निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। विस्तृत क्रियाविधि भारत सरकार के पत्र दिनांक 05/09/2019 मे अंकित है जिसकी प्रति आपको पूर्व में भिजवाई जा चुकी है; प्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी (MRF) पर प्लास्टिक की छंटनी Self Help Groups (SHGs)/NGOs का सहयोग लिया जाकर इस कार्य को और आसानी से किया जा सकता है। निदेशालय के समसंख्या पत्र दिनांक 14/11/2019 आपको निर्देश प्रदान किये जा चुके है, कि दिनांक 10/12/2019 तक आवश्यक रुप से MRF की स्थापना करते हुये वंहा पर NGOs/SHGs के माध्यम से वेस्ट प्लास्टिक की छंटनी कर सिमेन्ट फेक्ट्री को दिये जाकर इसकी सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अतः आप उपरोक्तानुसार समयबध आवश्यक कार्यवाही संपादित कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को जरिये ई–मेल (cedlbjp@gmail.com) भिजवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./DLB/19/ 100103– 100104 दिनांक :– 21.11.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
4. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
5. उपनिदेशक क्षेत्रीय, समस्त।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता